BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTCULARS	PAGE NO.
1.	FURTHER PROGRESS/ STATUS REPORT BY RESPONDENT NO. 4 DISTRICT MAGISTRATE, SHAMLI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE OFFICE ORDER DATED 16.05.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE DEMARCATION REPORT DATED 30.09.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	THE PHOTOGRAPHS OF THE ENCROACHMENTS BEING REMOVED IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE MOM DATED 29.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS	

	ANNEXURE-4	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR RESPONDENT NO. 4
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 30.12.2025
PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 915/2024

IN THE MATTER OF:
AMIT KUMAR

...APPLICANT(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENT(s)

FURTHER PROGRESS/ STATUS REPORT BY RESPONDENT NO. 4 DISTRICT MAGISTRATE, SHAMLI IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.10.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

1857

NOTARY GOVT. OF INDIA NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT U.P. R. No. 9476/2012

I, ARVIND KUMAR CHAUHAN, aged about 42 years, S/o Shri Lakshmee Narayan Chauhan, Posted as District Magistrate, Shamli, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That I, ARVIND Kumar Chauhan, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

FACTUAL BACKGROUND OF THE CASE

2. That in the present matter the Applicant has alleged rampant deforestation and illegal encroachment by farmers on reserved forest located in 7 villages i.e. Bibipur Jalalabad, Paoti Khurd, Dabhedi, Bibipur Hatia, Barnawi, Akbarpur Sunheti and Rataund of Shamli District, Uttar Pradesh.

3. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 08.10.2025 directed the Deponent to place on record the Status report/further progress report with regards to the action taken in pursuance to these notices for removal of encroachment. The operative paragraph is stated below:

   "...7. The Respondent No. 7 as also the Respondent No. 4 will place the further progress/status report on record atleast one week before the next date of hearing..."

NOTARY GOVT. OF INDIA NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012

FURTHER PROGRESS REPORT IN COMPLIANCE OF THE DIRECTIONS ISSUED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

4. That for the demarcation of the forest land, the Deponent vide office order dated 16.05.2025 had constituted a joint team of revenue department and forest department to carry out the inspection and demarcate the forest land within the timeline provided.

A copy of the office order dated 16.05.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That it is submitted before the Hon'ble Tribunal that the demarcation of all 526 *khasra* has been completed by the joint team i.e. forest department and the revenue department on 30.09.2025.

   A copy of the demarcation report dated 30.09.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

6. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 08.10.2025 has directed the Deponent to file the status report/ progress report of the removal of encroachment found on the forest land during the demarcation.

7. That in compliance of the above- mentioned order, the progress made with regards to the removal of encroachments is as follows:

8. That the forest department in coordination with the revenue department has identified the total encroachment (temporary and permanent encroachment) of approximately 24.5913 ha on the forest land.

9. That out of the total encroachment, the forest department has identified and removed 11.4402 ha. of temporary encroachment. With regards to the permanent encroachment, a total area of 13.1511 hectares of permanent encroachment has been duly identified on forest land.

10. That out of the aforementioned permanent encroached area, **encroachment measuring 1.0646 hectares has already been successfully removed.** From the total encroachment removed, 0.4027 ha of forest land is notified under section 20, and 0.6619 ha of the forest land is notified under section 4 of the IFA.

The photographs of the encroachments being removed is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

NOTARY
NOTARY ADVOCATE
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

11. That subsequently, a joint site inspection of the remaining encroached forest land was carried out on 23.12.2025 by the Revenue Department and the Forest Department and the factual position of the same was apprised to the deponent during the meeting dated 29.12.2025 with the SDM, forest department and the revenue department.

A copy of the MOM dated 29.12.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

12. **That upon due consideration, during the meeting, timeline for removal of permanent encroachment from the remaining forest land has been fixed by the Deponent and directions to the Forest department, Revenue Department, and Police Department have been issued to carry out the process of removal of encroachment jointly in accordance with law, to ensure that the forest land is made encroachment-free.**

NOTARY

S. No.	Village / Forest Block	Period
01	Barnavi	15.01.2026 to 17.01.2026
02	Akbarpur Sunaıhati	20.01.2026 to 22.01.2026
03	Bibipur Hatiya	27.01.2026 to 29.01.2026
04	Dabhedi Buzurg	01.02.2026 to 03.02.2026
05	Bibipur Jalalabad	07.02.2026 to 09.02.2026
06	Pawati Khurd	13.02.2026 to 14.02.2026
07	Rataund	18.02.2026 to 20.02.2026

NOTARY
NOTARY ADVOCATE
SHAMLI
DISTRICT (U.P.)
R. No. 9476/2012
GOVT. OF INDIA

NOTARY

13. That as per the timeline, the forest land is expected to the encroachment free within 2 months. The timeline for each village has been decided on the basis of the no. encroachments found in the village.

NOTARY

14. That the deponent ensures that the joint efforts will be made by the forest department, revenue department and the police department to ensure that the

NOTARY

encroachments are removed from the forest land at the earliest while maintaining the law and order.

15.Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

16.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY GOVT. OF INDIA Satyapal Singh Kashyap NOTARY/ADVOCATE SHAMLI DISTRICT (U.P.) R. No. 9476/2012

NOTARIAL

DEPONENT

(Signature of Deponent)

VERIFICATION

Verified at Shamli on this __day of 30-12, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

(Signature of Deponent)

ATTESTED
Satya Pal Singh Kashyap
Notary/advocate
District Shamli

30-12-25

जिलाधिकारी,
शामली।

मै घोषणा करता हूँ कि शपथकर्ता को जानता हूँ उसने इस शपथ पत्र पर मेरे व नोटेरी के सामने अपने हस्ताक्षर अंगूठा निशानी किया है।

ANNEXURE-1

745

कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

पत्रांकः– 2231 /14–1(NGT) शामली, दिनांकः– 16-05-2025।

–:कार्यालय आदेशः–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट संख्या 915/2024 बनाम अमित कुमार यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 08.11.2024 को ग्राम (दभेड़ी बुजुर्ग, बीबीपुर जलालाबाद, पावटी खुर्द, बरनावी, अकबरपुर सुनेहटी, रतोंद, बीबीपुर हटिया) में अतिक्रमित वन भूमि को कब्जा मुफ्त कराकर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु जिलाधिकारी शामली व प्रभागीय वनाधिकारी शामली को निर्देश मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गये थे। जिसमें राजस्व विभाग एवं वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त सर्वे के उपरान्त 526 खसरों में से 154 खसरों का ही चिन्हाकंन/सीमांकन हो सका था एवं वर्तमान में 12.05.2025 तक कुल 176 खसरों का चिन्हाकंन/सीमांकन हो सका है। 27.02.2025 के आदेश के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ने आदेशित किया है कि **The affidavit also does not disclose any timeline for completing the survey and identification of the encroachment in the remaining khasra numbers.** वर्तमान में 526 खसरों में से 350 खसरे पैमाईश हेतु अवशेष है। जिसके लिए टाईमलाईन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है–

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	कुल पैमाईश हेतु खसरा सं0	पैमाईश किये गये खसरों की सं0	पैमाईश हेतु अवशेष खसरा	पैमाईश में लगने वाला समय
1	2	3	5	6	9
1	दभेड़ी बुजुर्ग	64	64	0	0
2	बीबीपुर जलालाबाद	70	55	15	10 दिवस
3	पावटी खुर्द	96	11	85	42 दिवस
4	बरनावी	180	24	156	78 दिवस
5	रतोंद	43	0	43	22 दिवस
6	बीबीपुर हटिया	73	22	51	25 दिवस
7	अकबरपुर सुनेहटी	–	–	–	–
	योग	526	176	350	177 दिवस

<u>नोट</u>– अकबरपुर सुनेहटी ग्राम हेतु याचिंका कर्ता द्वारा कोई भी खसरा सं0/राजस्व अभिलेख संलग्नक नही किये गये है।

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

पत्रांक 2231/14–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, शामली वन प्रभाग, शामली को इस आशय से प्रेषित कि आप टाईमलाईन के अनुसार चिन्हाकंन/सीमांकन कार्य कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि– उप जिलाधिकारी ऊन/कैराना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे प्रकरण मा0 एन0जी0टी से आच्छादित है।

(अरविन्द कुमार चौहान)
जिलाधिकारी
शामली

Final Survey and Demarcation Report

747 30/09/25

ANNEXURE-2

ग्राम का नाम	कुल खसरा संख्या	खसरों का रकबा(हे0 में)	कुल अतिक्रमण (हे0)	कुल खाली कराया गया अतिक्रमण(हे0)	अवशेष अतिक्रमण(हे0)		अभियुक्ति
					धारा–4	धारा–20	
रतौंद	43	52.106	2.5272	1.0472	1.48 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–04)	–	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.29 हे0 रास्ते(खसरा नम्बरान–02)
पावटी खुर्द	96	127.566	2.2564	2.1464	–	0.11 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–02)	H-2 केस् इजरा कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.339 हे0 रास्ते(खसरा नम्बरान–11)
बरनावी	180	117.778	5.9560	1.4590	4.4970 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–24)	–	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 2.451 हे0रास्ते(खसरा नम्बरान–07)
बीबीपुर हटीया	73	40.416	1.2260	0.6886	0.5374 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–02)	–	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 0.414 हे0रास्ते(खसरा नम्बरान–06)
अकबरपुर सुनहेटी	64	35.9393	5.2005	2.9510	2.2085 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–15) (0.0410 धार्मिक स्थल)	–	H-2 केस् इजरा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। 3.3760 हे0 रास्ते(खसरा नम्बरान–11)
दमेडी बुजुर्ग	64	53.471	2.7719	2.7719	–	–	-
बीबीपुर जलालाबाद	70	113.999	4.6533	0.3761	–	4.1790 हे0 आबादी (खसरा नम्बरान–16) (0.0982 धार्मिक स्थल नम्बरान–03)	H-2 केस् इजरा कर IFA 1927 के अंतर्गत 61(b) की कार्यवाही की जा रही है। 1.082 हे0 रास्ते (खसरा नम्बरान–03)
योग	590	541.2753	24.5913	11.4402	8.7639	4.3872	
महायोग	590	541.2753	24.5913	11.4402	13.1511		

Sumit Kumar
सुमित कुमार
(सर्वेयर)

ANNEXURE-3

That **GPS-enabled photographic evidence**, together with **newspaper cutting**

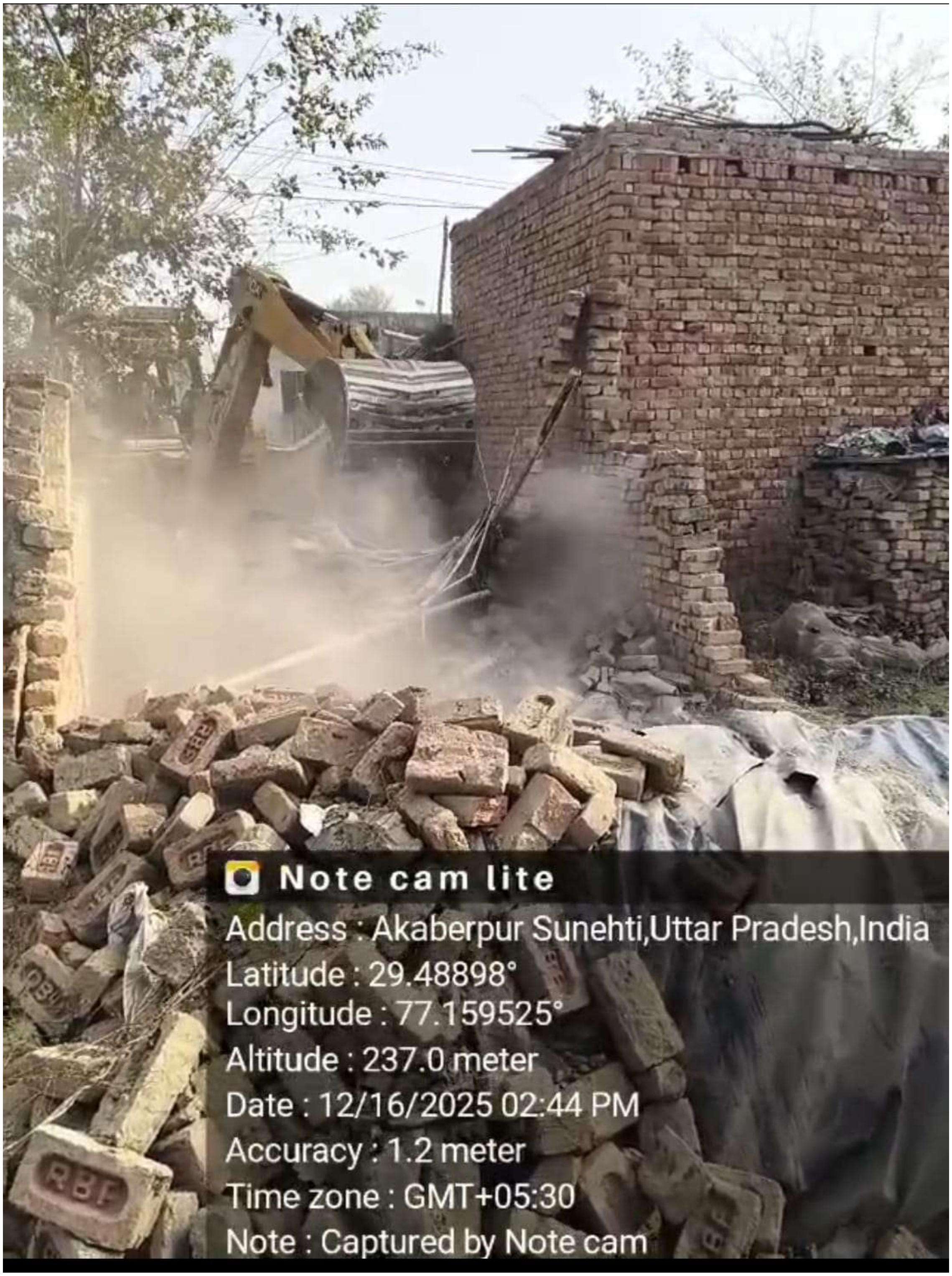
Note cam lite
Address : Akaberpur Sunehti,Uttar Pradesh,India
Latitude : 29.48898°
Longitude : 77.159525°
Altitude : 237.0 meter
Date : 12/16/2025 02:44 PM
Accuracy : 1.2 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Captured by Note cam

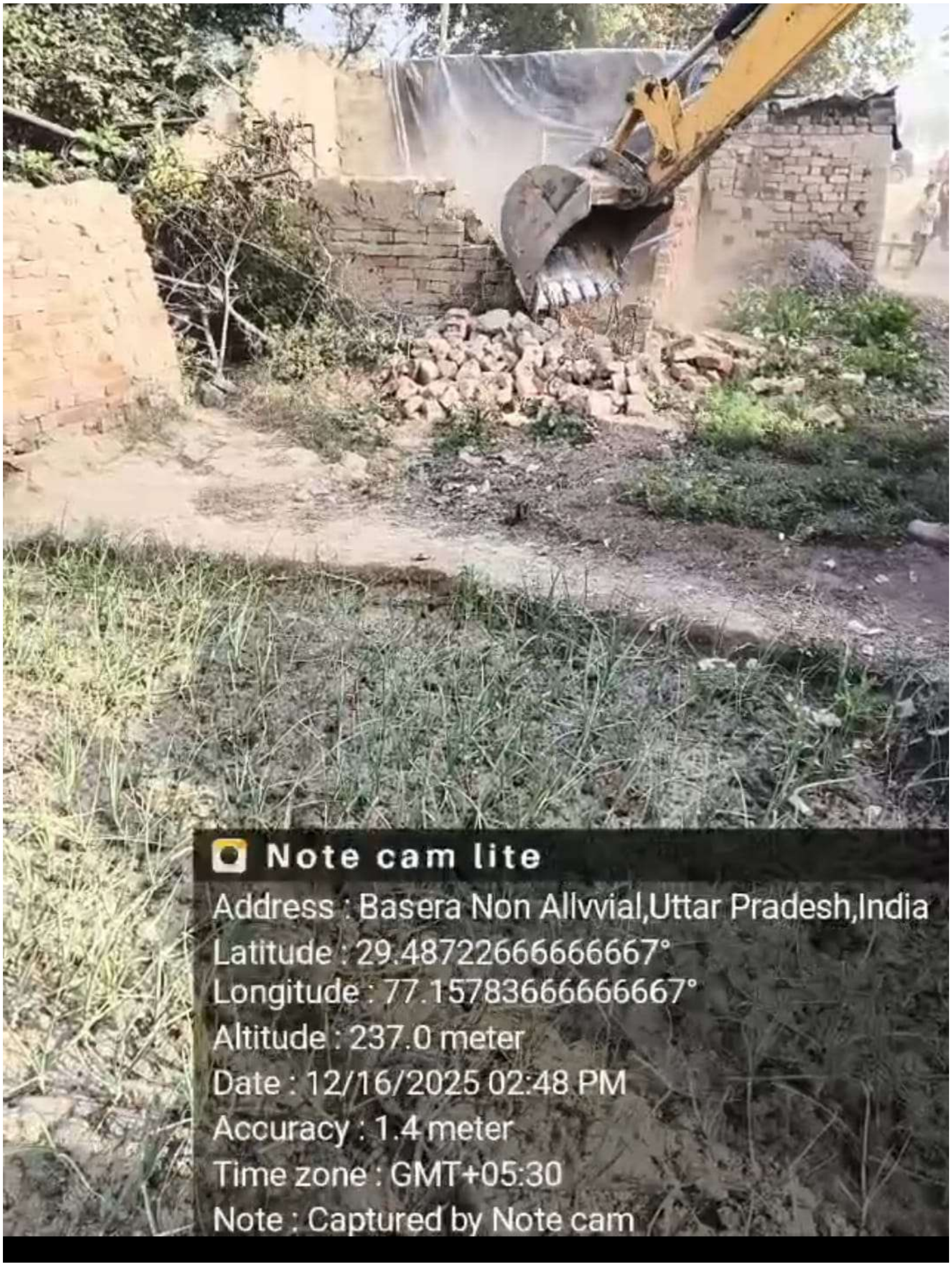
Note cam lite
Address : Basera Non Allvvial,Uttar Pradesh,India
Latitude : 29.48722666666667°
Longitude : 77.15783666666667°
Altitude : 237.0 meter
Date : 12/16/2025 02:48 PM
Accuracy : 1.4 meter
Time zone : GMT+05:30
Note : Captured by Note cam

GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
G528+6gp, बरनौ, उत्तर प्रदेश 247774, भारत
Lat 29.501805° Long 77.166108°
मंगलवार, 23/12/2025 01:54 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत, बरनौ, उत्तर प्रदेश , भारत
Lat 29.493727° Long 77.180236°
मंगलवार, 16/12/2025 03:39 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
G526+3wj, बरनौ, उत्तर प्रदेश 247774, भारत
Lat 29.50081° Long 77.163268°
मंगलवार, 23/12/2025 02:27 PM GMT +05:30
Google

JCB
GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
G528+6gp, बरनौ, उत्तर प्रदेश 247774, भारत
Lat 29.501298° Long 77.165957°
मंगलवार, 16/12/2025 02:07 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
शामली, उत्तर प्रदेश, भारत
पिपल वाली गली, उत्तर प्रदेश 247776, भारत, शामली, उत्तर प्रदेश 247776, भारत
Lat 29.508318° Long 77.253745°
बुधवार, 10/12/2025 01:11 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Rataundh, Uttar Pradesh, India
G5jf+m8h, Rataundh, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.532005° Long 77.173924°
Thursday, 11/12/2025 12:39 PM GMT +05:30
Google

JCB
GPS Map
Camera Lite
Barnau, Uttar Pradesh, India
Latitude
29.49362683°
Longitude
77.18016131°
Local 02:34:02 PM
GMT 09:04:02 AM
Altitude 236 meters
Friday, 05.12.2025

GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत, बरनौ, उत्तर प्रदेश , भारत
Lat 29.493726° Long 77.180242°
मंगलवार, 16/12/2025 03:39 PM GMT +05:30
Google

GURJAR
GPS Map Camera
बरनौ, उत्तर प्रदेश, भारत
G528+6gp, बरनौ, उत्तर प्रदेश 247774, भारत
Lat 29.50171° Long 77.166455°
मंगलवार, 16/12/2025 02:16:39 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Google
Rataundh, Uttar Pradesh, India
G5hf+r5m Rataundh Reserve Forest, Rataundh, Uttar Pradesh 247773, India
Lat 29.527332° Long 77.172825°
Thursday, 11/12/2025 02:28 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Google
रतौंध, उत्तर प्रदेश, भारत
G5jf+7jw, रतौंध, उत्तर प्रदेश 247773, भारत
Lat 29.530211° Long 77.176229°
बुधवार, 10/12/2025 12:03 PM GMT +05:30

दैनिक जागरण
मेरठ, सोमवार
1 दिसंबर, 2025
शामली
www.jagran.com
दो महीने में दो दर्जन कंपनियां ला रही आईपीओ 11
रांची में विराट विराट शो 12

बीबीपुर हटिया में चला बुलडोजर एनजीटी के निर्देश पर हटा कब्जा

- शुक्रवार सुबह ही वन विभाग के अफसर और पुलिस पहुंची
- तीन महीने पहले एनजीटी ने वन विभाग को दिए थे निर्देश

संवाद सूत्र, जागरण • चौसाना : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर शुक्रवार को बीबीपुर हटिया में वन भूमि पर हुआ अवैध कब्जा आखिरकार हटवा दिया गया। सुबह ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी, और रेंजर ऊन कृष्णकांत की निगरानी में बुलडोजर चलवाकर शमशाद द्वारा वन भूमि पर बनाए गए पक्के मकान को ध्वस्त कराया गया।

मार्च 2024 में अमित कुमार ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि जनपद शामली के कई गांवों में वन भूमि पर कब्जा है। एनजीटी ने वन विभाग और जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में एनजीटी ने कब्जा हटवाने में लापरवाही पाए जाने पर ऊन वन रेंज के रेंजर को नोटिस भी भेजा था, और जवाब तलब किया था। इसके बाद डीएम के आदेश पर राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम ने सात गांवों की पैमाइश कर अभिलेखों का परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कुल 13 हेक्टेयर वन भूमि पर पक्के और स्थायी प्रकार के अवैध निर्माण हैं। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि इन सभी कब्जों को हटाया जाए और स्थिति के बारे में पांच जनवरी 2026 तक बताएं। शुक्रवार को हुई कार्रवाई में पुलिस बल मुस्तैद रहा, जिससे किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके। वन विभाग रेंजर कृष्णकांत ने बताया कि यह अभियान अब लगातार चलेगा और जिन गांवों में कब्जे चिह्नित हुए हैं, वहां से बुलडोजर चलाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन इसी गति से काम जारी रखे तो आगामी एक महीने में सभी अवैध अतिक्रमण हट जाना निश्चित है। वहीं विभागीय अधिकारियों ने कहा कि आगे की पूरी रिपोर्ट समय पर माननीय न्यायालय को भेजी जाएगी।

चौसाना क्षेत्र के बीबीपुर हटिया में अवैध मकान गिराते वन विभाग व पुलिस बल • सौ:स्वयं

तीन महीने पहले मिला था आदेश

तीन महीने पहले एनजीटी ने सुनवाई करते हुए शामली वन विभाग को नोटिस जारी किया था। उस समय दैनिक जागरण ने बीबीपुर हटिया समेत सात गांवों की वन भूमि पर अवैध कब्जों की स्थिति को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। एनजीटी ने रेंजर ऊन से यह भी पूछा था कि पहले की शिकायतों के बावजूद कब्जा क्यों नहीं हटवाया गया। कोर्ट ने तीन माह की समय-सीमा तय कर चेतावनी दी थी कि देरी होने पर विभागीय अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

द, शनिवार
3 दिसंबर, 2025
मली
र 7.00
ष्ठ 18
w.jagran.com

दैनिक जागरण

5 लाख का भुगतान, फिर करें मेसी का सम्मान 14

विनेश फोगाट ने की संन्यास से वापसी 14

वन विभाग की कार्रवाई, अवैध निर्माण कराए ध्वस्त

बरनावी, सुन्हैटी और बीबीपुर गांव में कई स्थानों पर एक साथ चलाया बुलडोजर, हटवाए जा रहे अवैध कब्जे

संवाद सूत्र, जागरण• चौसाना : वन भूमि से अवैध कब्जे हटाए जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पहले बीबीपुर हटिया में कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि मंगलवार को बरनावी, सुन्हैटी और बीबीपुर में एक साथ कई स्थानों पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कराए गए।

चौसाना क्षेत्र के कई गांवों में हो रहे वन भूमि पर कब्जे को लेकर मंगलवार को वन विभाग की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची। रेंजर ऊन कृष्णकांत के नेतृत्व में बरनावी निवासी शामुद्दीन और शकील द्वारा खसरा संख्या 147 और 148 पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इन खसरों पर बने मकान और दीवारों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इसी तरह सुन्हैटी निवासी आस मोहम्मद द्वारा खसरा संख्या 218 पर किए गए अवैध निर्माण को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा बीबीपुर निवासी शमशाद द्वारा खसरा संख्या 270 की वन भूमि पर बनाए गए आवासीय निर्माण और चारदीवारी को भी गिरा दिया गया।

चौसाना क्षेत्र के बरनावी में चलता बुलडोजर• सौ वन विभाग

चौसाना के बरनावी में वन विभाग की जमीन पर कब्जा हटाते पुलिस बल• सौ. स्वयं

कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई। गौरतलब है कि मार्च 2024 में जनपद शामली की वन भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम ने सात गांवों में स्थलीय पैमाइश और अभिलेखीय जांच की थी। जांच में वन भूमि पर पक्के और स्थायी प्रकार के अवैध कब्जे पाए गए थे।

एनजीटी द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी चिह्नित अवैध अतिक्रमण को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और उसकी अद्यतन स्थिति नियमानुसार न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसी आदेश के अनुपालन में वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। रेंजर कृष्णकांत का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन खसरा संख्याओं पर अवैध कब्जे चिह्नित हैं, वहां बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई की जाएगी।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली में दायर रिट याचिका संख्या 915/2024 के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को पारित आदेश के अनुपालन संबंधी कार्यवृत्त –

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2025 को आदेशित किया गया था, कि वन भूमि पर पाए गए अतिक्रमण को हटाने के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दिनांक 05.12.2025 तक माननीय न्यायालय में दाखिल की जाए। उक्त आदेश के क्रम में दिनांक 23.12.2025 को राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवशेष अतिक्रमित वन भूमि के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्राप्त वस्तु स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को दिनांक 28.12.2025 को उप जिलाधिकारी कैराना एवं ऊन व तहसीलदार कैराना व ऊन की उपस्थिति में अवगत कराया गया। इस अवसर पर प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग द्वारा अब तक कुल 1.0646 हेक्टेयर अतिक्रमित वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। शेष अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि अवशेष अतिक्रमित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु तिथियां निर्धारित की जाएं।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 29.12.2025 को निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जा रही हैं, जिन पर वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

क्र0सं0	ग्राम/वन ब्लाक	दिनांक से दिनांक
01	बरनावी	15.01.2026 से 17.01.2026
02	अकबरपुर सुनैहटी	20.01.2026 से 22.01.2026
03	बीबीपुर हटिया	27.01.2026 से 29.01.2026
04	दभेडी बुजुर्ग	01.02.2026 से 03.02.2026
05	बीबीपुर जलालाबाद	07.02.2026 से 09.02.2026
06	पावटी खुर्द	13.02.2026 से 14.02.2026
07	रतौंद	18.02.2026 से 20.02.2026

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0),
जनपद शामली

प्रभागीय वनाधिकारी,
शामली वन प्रभाग,
जनपद शामली

जिलाधिकारी
जनपद शामली

पत्रांक– 1648 /14-1 तददिनांकित। 29/12/2025

1– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4– प्रतिलिपि पुलिस उपाधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5– प्रतिलिपि तहसीलदार कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6– प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी कैराना व ऊन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
शामली वन प्रभाग,
शामली।